न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 02/2024

बउनवान

जिला रसद अधिकारी, बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

मेसर्स घांसीलाल भील, (पॉश कोड–7128) उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत कड़ैयानोहर, तहसील छबड़ा, जिला–बारां (राज.) (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

2. श्री संजय नागर एडवोकेट (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 27.11.2024

1– प्रार्थी की ओर से जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा राशन वितरण में अनियमितता कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर कार्यालय के पत्रांक 4099–4107 दिनांक 02.07.2021 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया था। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा विभागीय आवंटित राशन सामग्री में से गेंहू NFSA 385.95 क्विं. का गबन करने तथा राज. राज्य खाद्य आपूर्ति निगम की गेंहू की राशि 26172/– रू. बकाया होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर खण्ड 8 क व 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानदार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर कार्यालय के आदेश क्रमांक 8580–87 दिनांक 31.03.2022 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 17/2022 निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रू. जब्त सरकार किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त उचित मूल्य दुकानदार से 385.95 क्विं. गेंहू की राशि तत्कालीन समर्थन मूल्य दर वर्ष 2022–23 दर 2015/– रू. प्रति क्विं. की दर से गेंहू के पेटे 777690/– रू. तथा निगम की बकाया राशि 26172/– रू. कुल 803862/– रू. वसूली हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा रिक्वीजेशन प्रपत्र I प्रस्तुत करने पर दिनांक 29.04.2024 को प्रपत्र–2 धारा–4 के ... जारी किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर जनमॉग वसूली अधिनियम 1952 के तहत नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा–6 के तहत नोटिस जारी किया जाकर, धारा–4 का प्रमाण पत्र ... जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.12.17 10:53:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

3— अप्रार्थी जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ। नोटिस में वर्णित तथ्यो के बारे लेख है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी उत्तरदाता की ओर आरोप लगाया गया कि मई 2017 से जुलाई 2021 तक विभाग द्वारा आवंटित राशन सामग्री में से 385.95 क्विं० गेहूँ का दुरूपयोग एवं राज० राज्य खाधान्न आपूर्ति निगम द्वारा दिसम्बर 2020 से अगस्त 2021 तक आपूर्ति किये गये गेहूँ की राशि 26,172/— रूपये कुल 803862/— रूपये बकाया काबिल वसूल होना बताया है जिसके बारे मे लेख है कि अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पोशमशीन खराब होने जाने व गावं में नेटवर्क न आने के कारण मई 2017 से जुलाई 2021 तक विभाग द्वारा आवंटित राशन सामग्री में से 385.95 क्विं० गेहूँ को राशन उपभोक्ताओ को वितरण कर उसका इन्द्राज बिकी रजिस्टर में किया गया है जिस पर जिन जिन उपभोक्ता राशन सामग्री का वितरण किया गया उनके हस्ताक्षर है। जिनकी प्रतियां जवाब के साथ प्रस्तुत की जा रही है जिससे यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी उत्तरदाता द्वारा मई 2017 से जुलाई 2021 तक विभाग द्वारा आवंटित राशन सामग्री में से 385.95 क्विं० गेहूँ का वितरण नियमानुसार राशनकार्ड धारको को कर उसका इन्द्राज किया है तथा अप्रार्थी उत्तरदाता ने 385.95 क्विं गेहूँ का कोई गबन नहीं किया है तथा अप्रार्थी की ओर दिसम्बर 2020 से अगस्त 2021 तक आपूर्ति किये गये गेहूँ की राशि 26,172/— रूपये बकाया बताई गयी है जो राशि अप्रार्थी उत्तरदाता विकलांग होने के कारण किसी दीगर व्यक्ति के साथ जमा हेतु भेजी थी। जिसको उक्त व्यक्ति द्वारा जमा नहीं करवायी है जिसकी जानकारी अप्रार्थी उत्तरदाता को नोटिस आने पर मिली। जिसके लिये अप्रार्थी उत्तरदाता क्षमा चाहता है। उक्त आरोप लगाकर अप्रार्थी उत्तरदाता के विरूद्ध पुलिस थाना छबडा में एफ०आई०आर० दर्ज करवायी थी जिससे सम्बधित प्रकरण न्यायालय अति० मुख्य न्यायिक मजि० कम 1 छबडा में विचाराधीन है। जिसमे न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को किसी भी प्रकार दोषसिद्ध नही किया गया है इसलिये न्यायहित में अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को निरस्त किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित में होगा। क्योंकि अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा किसी प्रकार का कोई गबन नही किया है। चार्जशीट फोटो प्रति साथ संलग्न है। अप्रार्थी 70 प्रतिशत शरीर से विकलांग है इसलिये नरमी का रूख अपनाकर अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही को निरस्त किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित में होगा। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि कार्यवाही निरस्त फरमाकर प्रार्थी उचित मूल्यदुकानदार ग्राम पंचायत कडैयानोहर को राशन सामग्री सप्लाई करने का आदेश दिये जाने की कृपा करे।

4— जवाब नोटिस प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार रसद एवं अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी। दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा विभागीय आवंटित राशन सामग्री में से गेंहू NFSA 385.95 क्विं. गेंहू का गबन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा ... के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र संख्या ... निरस्त किया जाकर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/—रू. जब्त ... से दण्डित किया गया। अप्रार्थी से 385.95 क्विं. गेंहू की राशि तत्कालीन ... मूल्य दर वर्ष 2022—23 दर 2015/— रू. प्रति क्विं. की दर से ... 777690/— रू. तथा निगम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.12.17 10:53:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

बकाया राशि 26172/– रू. कुल 803862/– रू. वसूल करने हेतु आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

5– दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब नोटिस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पोशमशीन खराब होने जाने व गावं में नेटवर्क न आने के कारण आवंटित राशन सामग्री में से 385.95 क्विं० गेहूँ को राशन उपभोक्ताओ को वितरण कर उसका इन्द्राज बिकी रजिस्टर में किया गया है जिस पर जिन जिन उपभोक्ता राशन सामग्री का वितरण किया गया उनके हस्ताक्षर है। इस प्रकार अप्रार्थी ने 385.95 क्विं गेहूँ का कोई गबन नहीं किया है। अप्रार्थी द्वारा निगम की अंकित बकाया राशि 26172/– जमा कराने हेतु अन्य व्यक्ति के साथ भिजवाई थी परन्तु उक्त व्यक्ति द्वारा यह राशि जमा नहीं करवाई गई। अतः उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाकर प्रार्थी को राशन सामग्री सप्लाई करने का आदेश दिये जाने की कृपा करे।

6– हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थी स्वंय ने जवाब नोटिस में अंकित किया है कि उसके द्वारा 385.95 क्विं. गेहूं उपभोक्ताओं को वितरण कर उसका इन्द्राज वितरण रजिस्टर में किया गया है। जबकि वितरण रजिस्टर में इन्द्राज कर उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं का वितरण नियमानुसार नही किया जा सकता। अप्रार्थी द्वारा उक्त गेंहू के वितरण का कोई प्रमाण/साक्ष्य पत्रावली में पेश नही किया है। मात्र अप्रमाणित वितरण रजिस्टर की छायाप्रति संलग्न की है। जिससे अप्रार्थी द्वारा वितरण रजिस्टर में अंकन कर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण किया जाना नही माना जा सकता है। इसी आधार पर प्रार्थी द्वारा 385.95 क्विं. गेंहू के गबन का आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर अप्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 17/2022 निरस्त किया गया। तथा गेंहू की राशि तत्कालीन समर्थन मूल्य दर वर्ष 2022–23 दर 2015/– रू. प्रति क्विं. की दर से गेंहू के पेटे 777690/– रू. तथा निगम की बकाया राशि 26172/– रू. कुल 803862/– रूपये वसूली योग्य निकाली गई है।

7– अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी मेसर्स घांसीलाल भील, (पॉश कोड–7128) उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत कड़ैयानोहर, तहसील छबड़ा, जिला–बारां (राज0) से राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत राशि 803862/–रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अप्रार्थी से उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति मय प्रमाणपत्र धारा–4 जिला रसद अधिकारी, बारां एवं जिला राजस्व लेखाकार, बारां को भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे द्वारा इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.12.17 10:53:56 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)